रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 जुलाई, 1996/15 आषाढ़, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
डी0-अनुभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 19 जून, 1996

संख्या जी0ए0 डी0-डी0-(जी0) 1-19/96.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप-मौहाल बैम्लोई, मौहाल स्टेशन वार्ड छोटा शिमला, तहसील व जिल शिमला, हिमाचल प्रदेश, में सरकारी कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतःएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मे निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मे कार्यरत सभी अधिकारियों, उसके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

1997-राजपत्र/96-6-7-96—1,223. (3061) मूल्य : एक रुपया ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 के उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला (शहरी)

चक/मौहाल का नाम	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बिस्वा/वर्ग मीटर
1	2	3	4
उप-मौहाल ब्रैम्लोई, मौहाल स्टेशन वार्ड, छोटा शिमला ।	443	22	80
	569	1	96
	570	151	48
	571	260	77
	572	72	46
	573	35	04
	574	54	16
	575	125	53
	576	231	00
	576/1	139	50
	577	18	36
	578	82	32
	579	24	64
	580	26	40
	581	59	78
	582	9	80
	583	2384	75
	583/1	3902	74
	595	31	20
	किता : 19	7634	69 वर्ग मीटर

दिनांक 19 जून, 1996

संख्या जी0 ए0 डी0-डी0-7(जी0) 1-19/96.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मौहाल यू0 एस0 क्लब, स्टेशन वार्ड छोटा शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतःएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उसके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 के उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला

गांव/मुहल्ला	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बिस्वा/ वर्ग मीटर
1	2	3	4
मौहाल यू0 एस0 क्लब मौहाल स्टेशन वार्ड छोटा शिमला ।	1035	171	76
	1036	1056	82
	1105	770	17
	1116	405	77
	1117	858	39
	1118	43	50
	1122	13012	94
	1119	58	16
	1120	290	50
	1121	8	12
किता ..	10	16676	13 वर्ग मीटर

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 नेगी,
आयुक्त एवं सचिव (सामान्य प्रशासन) ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 20 जून, 1996

सं0 एच0 एफ0 डब्ल्यू0-बी0 (एफ0) 4-13/94-1.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ग्राम नीन (ग्राम पंचायत नीन) तहसील सुन्नी, जिला शिमला में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 22 जून, 1996

संख्या एच0 एफ0 डब्ल्यू0-बी0 (एफ0) 4-16/95.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप स्वास्थ्य केन्द्र कुफरी, जिला शिमला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्थानित करने के जनहित में तत्काल सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

जे0 पी0 नेगी,
आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य)।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 जुलाई, 1996

संख्या गृह (ए0) एफ0 (13)-8/90.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उन सभी दोनों में से जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए0) एफ0 (13)-8/90, दिनांक 25-10-91 जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र के अंक दिनांक 30-11-91 में प्रकाशित हुई थी, में निर्दिष्ट किए गए हैं, में निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को, सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जोकि इसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते हैं।

अनसूची

03 जुलाई, 1996 से 28 जून, 1997 (नारायणगढ़ रेंज)।

तोप दागने का अभ्यास एक सप्ताह में चार दिन यानि सोमवार, मंगलवार, वृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को होगा। यदि किसी कारणवश इन चारों दिनों में से किसी दिन अवकाश होता है तो फायरिंग का अभ्यास नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव (गृह)।

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th June, 1996

No. PBW (PH)F-(6) (5)-19/95 (Loose).—As recommended in the first meeting of the State Working Group on Participatory Irrigation Management held under the Chairmanship of

Chief Secretary, Himachal Pradesh on 14-12-95, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Standing Committee on Participatory Irrigation Management with immediate effect comprising of the following :—

1. Ms. C.P. Sujaya, Financial Commissioner-*cum*-Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh .. *Chairperson.*
2. Shri A. K. Dwivedi, Director, Horticulture Himachal Pardesh Shimla .. *Member.*
3. Dr. C. Sithapathi Rao, Director, Institute of Resource Development & Social Management (IRDAS) 10-1-123/A/3/1, Saifabad, Hyderabad-500004 .. *Member.*
4. Dr. R. K. Patil, Consultant & Treasurer, Society for People Participation in Ecosystem Management (SOPPECOM) 2, Vasumti 133/134 Baner Road, Aundh, PUNE-411007 .. *Member.*
5. Shri Brahm Singh Thakur, Senior Analytical Specialist, Agriculture Department, Chaura Maidan, Shimla-4 .. *Member.*
6. The Engineer-in-Chief (IPH) U. S. Club, Shimla-171001 .. *Member.*
7. The Chief Engineer (North) I&PH Department, Dharamsala .. *Member.*
8. Ms. Nisha Singh, Additional Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh .. *Member.*
9. The Chief Engineer (D&M) IPH Department, U. S. Club, Shimla .. *Member.*
10. Shri O. C. Verma, Joint Director, Agriculture, Himachal Pradesh, Shimla .. *Member.*
11. Dr. R. K. Sood, Head, Remote Sensing Cell, Himachal Pradesh Council of Science and Technology, Shimla-9 .. *Member.*
12. Shri Minkesh Sood, Assistant Conservator of Forest, Kullu .. *Member.*
13. Dr. Arun Chandan, Director, Society for Environment and Rural Awakening (ERA), Vikas Kunj Khundiah, Kangra Himachal Pradesh .. *Member.*
14. Shri Rajiv Ahal, Coordinator, Working Group on Natural Resources Management in Palampur Himachal Pradesh .. *Member.*
15. Ms. M. S. Vani, 35, Babar Road, New Delhi-110001 .. *Member.*
16. Shri R. K. Rajoo, Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur, Himachal Pradesh .. *Member.*
17. Shri Kulbhushan Upmanyu, Village Kamla, Post office Tundi, Tehsil Bhattiyat, District Chamba Himachal Pradesh .. *Member.*

18. Ms. Ruma Devi, C/o Ms. Anita Sharma, Samarpan Association near Industrial Area Sultanpur, Chamba Himachal Pradesh .. *Member.*

19. Shri Amar Singh Kaundal, Society for Rural Development and Action Thaltukhor, District Mandi .. *Member.*

20. Superintending Engineer, Planning and Investigation Unit-II IPH Department, U. S. Club, Shimla-1 .. *Member-Secretary.*

Objectives

1. To facilitate the implementation of the decisions and suggestions made by the State Level Working Group on Participatory Irrigation Management headed by Chief Secretary, Himachal Pradesh in its meetings through various strategic activities to be spelt out in the initial meeting.

2. To bring together, on a common plateform, irrigation and other forestry experts/technocrats, agricultural horticultural Scientists, extension workers, Social Scientists, legal experts, voluntary agencies, community organisations, women groups, panchayats, Krishi Vikas Singhs, etc. in an attempt to create a participatory working environment for water management projects.

The Standing Committee can co-opt agencies/individuals as may be deemed necessary by it. The Standing Committee can constitute sub-committees in which co-opted members can be made members.

TA and DA to the non-official members

1. For travelling by railway actual fare (both sides) upto Ist class/2nd class AC from their head-quarters to Shimla and back.

2. For travelling by road actual fare upto Deluxe bus fare from their headquarters to Shimla and back.

3. The non official members would be entitled for an honorarium of Rs. 250/- for attending each meeting as daily allowance.

By order,

C. P. SUJAYA,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

लोक निर्माण विभाग

आदेश

शिमला-171002, 18 जून, 1996

संख्या पी० वी० डब्ल्यू (वी० एण्ड० आर०) (वी) (3) (6) 4/93.—मैसर्ज गणपति रोपवेज़ प्राईवेट लिमिटिड, कलकत्ता ने श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में यात्री आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था ;

और राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा-6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित आकाशी रज्जू मार्ग के सम्बन्ध में सभी हितबद्ध व्यक्तियों से तारीख 30-3-1996 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस प्रकार की समसंख्यक सूचना तारीख 23-3-1996 द्वारा इस सूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जानें की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किए थे ;

और राज्य सरकार द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 क 7) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्ज़ गणपति रोपवेज़ प्राईवेट लिमिटिड कलकत्ता (संप्रवर्त्तक) को निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करनें के लिए प्राधिकृत करते हैं :—

(i) संप्रवर्तक, हिमाचल प्रदेश रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अधीन अन्तिम आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है) के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर पूंजी जुटाएगा ;

(ii) रज्जू मार्ग के प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सिविल कार्य, संयत्र और मशीनरी का कार्य अन्तिम आदेश के प्रकाशन के तुरन्त बाद शुरू किया जाएगा ;

(iii) आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण अन्तिम आदेश के प्रकाशन के बाद 12 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(iv) संप्रवर्त्तक ऐसी रियायतों के लिए पात्र होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत की जाएं ;

(v) संप्रवर्त्तक राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मानक परिमाप और विनिदेशों के अनुरुप आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करेगा । संरचनात्मक डिज़ाईन निर्माण सामग्री को क्वालिटी सुरक्षा की बातों (फैक्टर) या भार को संगणना का ढंग उनके होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए हैं । परन्तु यदि स्थल की परिस्थिति के कारण परिमाप और विनिर्देशों में कोई विचलन जिसके अन्तर्गत टावर की ऊंचाई में परिवर्तन भी आता है, संप्रवर्तक द्वारा यथास्थिति, रज्जू मार्ग निरीक्षक। विशेषज्ञ समिति को पूर्वानुमति से ही किया जाएगा ।

(vi) संप्रवर्त्तक सड़क तथा अन्य सार्वजनिक संचार साधनों के मार्गों के ऊपर से आकाशी रज्जू मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में यथा-लागू नियमों का पालन करेगा ;

(vii) संप्रवर्त्तक उपरोक्त आकाशी रज्जू मार्ग या इसके किसी भाग को राज्य सरकार को पूर्वा-नुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा, हस्तान्तरित, पट्टे या उप-पट्टे पर नहीं देगा ।

(viii) संप्रवर्त्तक, आकाशी रज्जू मार्ग के संचालन में मुख्य रूप में विद्युत शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन रहते हुए करेगा कि विद्युत के फेल होने की दशा में संप्रवर्तक आकाशी रज्जू मार्ग के संचालन के लिए डिज़ल जैनरेटिंग सैट हमेशा तैयार रखने का प्रबन्ध करेगा ;

(ix) संप्रवर्त्तक विश्वस्त यंत्र, उचित संकेत व्यवस्था, उचित डिज़ाईन फिक्सचर और संरचना रज्जू, मशीनरी, गीयर तथा अन्य साविधाओं की व्यवस्था करेगा । संप्रवर्त्तक प्रतिदिन, निरीक्षण करेगा कि क्या मशीनरी साधित्र इत्यादि ठीक है और इनमें उचित रूप से ग्रीस और तेल लगाया गया है ;

(x) यदि आकाशी रज्जु मार्ग रेल लाईन के ऊपर से गुजरता है, तो संप्रवर्त्तक रेल अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेगा ।

(xi) संप्रवर्त्तक आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत आने वाले आयुद्ध और गोला बारूद के सिवाय यात्रियों को उनके सामान सहित जैसे कि ब्रोफकेस/अटैची/सूटकेस/हैंड़ बैग इत्यादि को आकाशी रज्जू मार्ग से ले जाएगा ;

(xii) संप्रवर्त्तक इस सूचना से संलग्न उपबन्ध-I के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दरें प्रभारित नहीं करेगा ;

(xiii) संप्रवर्त्तक, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारन्टी के रूप में 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) की प्रतिभूति सचिव (लोक निर्माण विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पर देगा । किसी शर्त के भंग की दशा में राज्य सरकार उसे समप्रहृत करनें के लिए स्वतन्त्र होगी । प्रतिभूति के समपहरण का आदेश देने से पहले सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार, संप्रवर्त्तक को निश्चित रूप से 15 दिन के भीतर ऐसे भंग को सुधार करने के लिए कारण बताओ नोटिस देगी और यदि संप्रवर्त्तक सुधार करने और भंग के लिए समुचित स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है. तो राज्य सरकार के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा अन्तिम आदेश, जैसा यह उचित समझें दे सकेगी ;

(xiv) संप्रवर्त्तक ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्रारूप में जैसे सरकार समय-समय पर विहित करे पूंजी, राजस्व व्यय, प्राप्तियों और यातायात की विवरणियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(xv) यदि सप्रवर्त्तक उपरोक्त विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त को भंग करता है या उपरोक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या संप्रवर्त्तक उपरोक्त आकाशी रज्जू मार्ग को चलानें/संचालन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार आकाशी रज्जू मार्ग को सभी विल्लंघनों से मुक्त या अवक्षय मूल्य पर अधिग्रहित कर लेगी । यदि राज्य सरकार उक्त रज्जू मार्ग का अधिग्रहण करने का आशय नहीं रखती तो स्थानीय प्राधिकरण और संप्रवर्त्तक के बीच परस्पर करार पाए गए मूल्य पर इसे खरीद सकेगा ;

(xvi) संप्रवर्त्तक निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति, या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सभी युक्तियुक्त समयों पर आकाशी रज्जू मार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा ;

(xvii) उपरोक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का कोई भी उल्लंघन आदेश की शर्तों का भंग माना जाएगा; और,

(xviii) यदि संप्रवर्त्तक और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह एकमात्र माध्यस्थम अर्थात् मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । जिनका अधिनिर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्य होगा । माध्यस्थम के समक्ष कार्यवाहियां माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबन्धों द्वारा विनियमित की जाएगी ।

आदेश द्वारा,

पी0 एस0 राणा,
वित्तायुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण) ।

उपबन्ध---I

श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में लगाए जाने वाले आकाशी रज्जू मार्ग द्वारा यात्रियों को वहन करने के लिए संप्रवर्तक द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम दरों की सूची :-

अनुसूचि

क्रम संख्या	विवरण	दोनों तरफ की यात्रा के लिए अधिकतम दरें (रुपयों में)
1.	3 वर्ष से कम आयु के बच्चे	उन्हें छूट दी जानी है।
2.	3 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	20/-
3.	12 वर्ष से अधिक आयु के अन्य व्यक्ति	40/-

टिप्पणी (1): संप्रवर्तक यात्रियों से हल्का सामान जैसे ब्रीफ केस/छोटे सूटकेस और हाथ के बैगों आदि के लिए कोई प्रभार नहीं लेगा।

टिप्पणी (2): संप्रवर्तक यात्रियों के भारी सामान भण्डारण के लिए सामान गृह का प्रबन्ध करेगा और उस सम्बन्ध में उन्हें समुचित रसीद जारी करेगा।

टिप्पणी (3): उपरोक्त किराए की दरें दोनों तरफ की यात्रा के लिए यात्रियों से प्रभारित की जाएंगी।

[*Authoritative English Text of this Government order No. PBW(B&R) (B)3(6)4/93, dated 8th June, 1996, as required under Article 348 of the Constitution of India*].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, the 18th June, 1996

No. PBW(B&R)(B)3(6)4/93. Whereas M/S Ganpati Ropeways Pvt. Ltd. Calcutta had applied for permission to construct a passenger aerial ropeway Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.);

And, whereas in exercise of the powers conferred under Sub-Section 2 of Section 6 of H.P. Aerail Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969), the State Government had invited the objection(s)/ suggestion(s) *vide* this Government notice of even No. dated 23-3-1996, published in the H.P. Rajpatra dated 30-3-1996 in relation to the proposed aerial ropeway from all the interested persons within three weeks from the date of publication of the notice in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

And, whereas no suggestion(s)/objection(s) have been received by the State Government within the stipulated period.

Now therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 7 of the Act *ibid*, is pleased to authorise the construction of an aerial

ropeway Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.), by M/S Ganpati Ropeways Private Ltd., Calcutta (Promoter) subject to the following restrictions and conditions:

(*i*) that the promoter shall raise the capital within one year of the publication of the final order under section 7 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter called "the Order");

(*ii*) that the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall start immediately after publication of the final order ;

(*iii*) that the construction of the aerial ropeway shall be completed within a period of 12 months after the publication of final order ;

(*iv*) that the promoter shall be eligible for such concessions as may be allowed by the State Government from time to time ;

(*v*) that the promoter shall construct the aerial ropeway conforming to the standards, dimensions and specifications as approved by the State Government. The Structural, designs, quality of material, factor of safety, method of computing stresses shall be in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards. Provided that any deviation in the dimension and specification on account of site conditions including change in the height of the tower, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway/Expert Committee as the case may be ;

(*vi*) that the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other public ways of communications ;

(*vii*) that the promoter shall not sell, transfer, lease or sublet the aforesaid aerial ropeway or part thereof to any other person without the prior permission of the State Government ;

(*viii*) that the promoter shall use electricity power as the main mode of operating the aerial ropeway subject to the condition that in case, the failure of electricity the promoter shall always keep standby arrangements of Diesel Generating Set for the operation of aerial ropeway ;

(*ix*) that the promoter shall provide reliable devices, provisions for signalling, suitabledesigned fixures and structures, ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily inspect whether the machinery appliances etc. are in order and well greased and oiled regularly ;

(*x*) that the promoter shall obtain the permission from the Railway authorises in case the aerial ropeway passed over the railway line ;

(*xi*) that the promoter shall carry passengers with their luggage such as brief case/attachee/ suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway except arms and ammunitions as covered under Arms Act, 1959 ;

(*xii*) that the promoter shall not charge the rates higher than the rates approved by the State Government as per Annexure-I annexed to this order ;

(*xiii*) that the promoter shall submit a security of Rs. 3.00 Lacs (Three Lacs) in the shape of Bank Guarantee from a nationalised Bank in the name of Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh for the due compliance of the conditions specified in the order. In the case of any breach of any condition, the State Government shall be at liberty to forefeit the same. Before ordering the forefeiture of the security

Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh shall give show cause notice to the promoter to rectify the breach within 15 days positively and if the promoter fails to rectify and give suitable explanation for breach, the State Government may make final order as it may think fit without prejudice to the other rights of the State Government ;

(*xiv*) that the promoter shall submit to the State Government such returns of capital and revenue expenditure, receipts and tarrif at such interval and in such form as may be prescribed by the State Government from time to time ;

(*xv*) that in case the promoter commits any breach of any of the conditions specified above or acts in contravention of provisions of the Act *ibid* and rules framed thereunder or promoter fails to operate/run the aforesaid ropeway, the State Government may take over/resume the aerial ropeway free from all encumbrances or on such depreciated Value of the aerial ropeway. In case State Government do not intend to take over the said ropeway, the local authority may purchase the same on the depreciated Value or as may be mutually agreed between the local authority and the promoter ;

(*xvi*) that the promoter shall allow the Inspector/Expert Committee or their authorised representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times ;

(*xvii*) that the contravention the of any of the provisions of the Act *ibid* or rules framed thereunder shall be termed as a breach of condition of the order ; and

(*xviii*) that if any dispute arises between the State Government and the promoter, the same shall be referred to the sole Arbitrator, *i.e.* the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh whose decision shall be final and binding on both the parties. The proceedings before the Arbitrator shall be regulated by the provisions of Arbitration Act, 1940.

By order,

P. S. RANA,
F. C.-cum-*Secretary (P.W.).*

ANNEXURE-I

Schedule of maximum rates which can be charged by the promoter for carrying passengers through the aerial ropeway to be installed at Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H. P.).

SCHEDULE

Sl. No.	*Description*	*Maximum rates in (rupees) for both way journey*
1.	Children below the age of 3 years	They are to be exempted.
2.	Children from 3 to 12 years of age	20/-
3	Other persons over the age of 12 years	40/-

Note 1.—The promoter shall not charge any thing for the small luggage like briefcase/ small suitcase and hand bags etc. from the passengers.

Note 2.—The promoter shall provide a Luggage Room for storing the bigger luggage of the passengers and shall issue proper receipt to them in that respect.

Note 3.—The above rates of fare shall be charged from passengers for both way journey.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।